संख्या:45/2022/787/12-2-2022-एफ.42/2001

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 08 जून, 2022

विषय: प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक इकाईयों द्वारा नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड्स अथवा टेक्निकल ग्रेड यूरिया (टी.जी.यू.) के स्थान पर अनुदानित यूरिया का उपयोग रोके जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या: 65/2021/1363565/12-2099/86/2021-एफ.-42/2001, दिनांक 29 सितम्बर, 2021 द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा चिन्हित उत्पाद के निर्माण में उपयोग हेतु अनुदानित यूरिया का नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड्स/टी0जी0यू0 या फार्मेल्डिहाइड यूरिया के स्थान पर डायवर्जन का रॉ-मेटेरियल के रूप में प्रयोग किए जाने के कारण इन इकाइयों के रॉ-मेटेरियल की प्राप्ति स्रोत की गहन जांच किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए है।

3. उल्लेखनीय है कि नाइट्रोजनस कम्पाउन्ड अथवा टेक्निकल ग्रेड यूरिया (टी.जी.यू.) या फार्मेल्डिहाइड यूरिया का उपयोग निम्नलिखित औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जाता है:-

(i) प्रोटीन के विकल्प के रूप में पशु और कुक्कुट आहार में।
(ii) यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन का उपयोग पेंट में इमल्सन के लिए बाइन्डर के रूप में किया जाता है।
(iii) चीनी/शीरा का एल्कोहल किण्वन के लिए कच्चा माल के रूप में।
(iv) यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड के उपयोग प्लाईवुड और पार्टिकल बोर्ड उद्योग में चिपकने के रूप में और सतह कोटिंग के लिए भी किया जाता है।
(v) मेलामाइन रेजिन या मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड (नाइट्रोजन यौगिक) का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों, प्लेटों, प्लास्टिक उत्पादों और अन्य के निमार्ण के लिए किया जाता है।
(vi) टीजीयू का उपयोग रॉक साल्ट के असंरक्षात्मक विकल्प के रूप में।
(vii) बर्निंग एजेन्ट के रूप में यूरिया का उपयोग।
(viii) टीजीयू दांतों को सफेद करने वाले उत्पादों के लिए मुख्य सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है।
(ix) कपड़ा रंगाई या छपाई में डाई के लिए उपयोग।
(x) डिश सोप के लिए कच्चा माल।
(xi) सिगरेट का स्वाद बढ़ाने के लिए योजक के रूप में।

4. उल्लेखनीय है कि टेक्निकल ग्रेड यूरिया मै. जी.एन.एफ.सी. द्वारा देश में उत्पादित किया जाता है अथवा विदेशों से आयात किया जाता है। अतएव, अनुदानित यूरिया का गैर-कृषित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यों/औद्योगिक इकाइयों में डायवर्जन रोके जाने के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

(1) प्रदेश के प्रत्येक जनपद में महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला कृषि अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य की संयुक्त टीम के द्वारा उपरोक्त चिन्हित स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा टी.जी.यू. (टेक्निकल ग्रेड यूरिया) या फार्मेल्डिहाइड यूरिया के स्रोत प्राप्त की गहनता से जांच की जाए तथा यदि किसी औद्योगिक इकाइयों द्वारा अनुदानित यूरिया का उपयोग अपने उत्पादों के निर्माण मे किया जाना पाया जाता है तो उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियन्त्रण) आदेश, 1985, आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 में दी गई धाराओं एवं अन्य सुसंगत नियमों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए जिससे अनुदानित यूरिया का औद्योगिक इकाईयों द्वारा दुरूपयोग करने पर रोक लगायी जा सके।

(2) असामाजिक तत्वों के द्वारा टेक्निकल ग्रेड यूरिया के खाली बैग्स में अनुदानित यूरिया री-बैग कर आपूर्ति/बिक्री किए जाने की सम्भावना के दृष्टिगत औद्योगिक इकाईयों की जांच के दौरान उपलब्ध टेक्निकल ग्रेड यूरिया के स्टॉक से नमूने गृहीत कर नीम आयल पदार्थ की जांच प्रयोगशाला से कराया जाए। नीम आयल पदार्थ की पुष्टि होने की दशा में उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियन्त्रण) आदेश, 1985, आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 के अन्तर्गत तत्काल विधिक कार्यवाही की जाए।

(3) जनपदों में समय-समय पर डलवाए जाने वाले उर्वरक छापों के दौरान उर्वरक बिक्री केन्द्रों के साथ-साथ उपर्युक्तानुसार चिन्हित औद्योगिक इकाईयों का जनपद में गठित टीम के द्वारा सघन निरीक्षण किया जाए।

कृपया उक्त निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या: 45/2022/787(1)/12-2-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in